रजिस्ट्री सं० डी०--(डी)--73

REGISTERED NO.D--(D)--73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 29] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 19, 1980 (आषाढ़ 28, 1902)

No. 29] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 19, 1980 (ASADHA 28, 1902)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may bofiled as a separate compilation.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . . .	441
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	899
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकलपों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	11
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई, अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	775
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खण्ड 2—विधेयक और विधेयक संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें . .	—
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिसमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) . .	1545
भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं . .	2443
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश .	247
भाग III—खण्ड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .	8111
भाग III—खण्ड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस .	379
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खण्ड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं . .	2537
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	115

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	441
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	899
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to non-statutory Rules, Regulations Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	11
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	75
PART II—SECTION 1.—Act, Ordinances and Regulations.	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committee on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i).—General Statutory Rules (Including orders, bye-laws etc. of General Character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	1545
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	2443
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	247
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	8111
PART III—SECTION 2.—Notification and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	379
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2537
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies ..	115

भाग I—खण्ड 1
PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 जुलाई 1980

सं० 41 प्रेज/80—राष्ट्रपति सहर्ष निदेश देते हैं कि भारत के राजपत्र के भाग-1, खण्ड-1 में प्रकाशित इस सचिवालय की अधिसूचना सं० 13-प्रेज/60, दिनांक 26 जनवरी, 1960 के अन्तर्गत संस्थापित जनरल सर्विस मैडल 1947 के साथ पहना जाने वाला "नागा हिल्स" क्लास्प 8 मई, 1975 से समाप्त किया जाए।

सं० 42-प्रेज/80—राष्ट्रपति सहर्ष निदेश देते हैं कि भारत के राजपत्र के भाग-1, खण्ड-1 में प्रकाशित इस सचिवालय की अधिसूचना सं० 36-प्रेज/70, दिनांक 16 जुलाई, 1970 के अन्तर्गत संस्थापित जनरल सर्विस मैडल, 1947 के साथ पहना जाने वाला "मिजो हिल्स" क्लास्प 8 मई, 1975 से समाप्त किया जाए।

सं० 43-प्रेज/80 राष्ट्रपति सहर्ष निदेश देते है कि राष्ट्रपति सचिवालय की अधिसूचना सं० 3-प्रेज/50 दिनांक 5 जून, 1950 के अन्तर्गत संस्थापित "नागा हिल्स" और "मिजो हिल्स" क्लास्प युक्त "जनरल सर्विस मैडल 1947" 1 जनवरी, 1968 से 8 मई, 1975 के बीच अलंकृत किये गये व्यक्तियों को राष्ट्रपति सचिवालय की अधिसूचना सं० 35-प्रेज/75 दिनांक 8 मई, 1975 के अन्तर्गत संस्थापित "सामान्य सेवा मैडल 1965" के क्लास्प के साथ जारी किया जाएगा।

सं० 44-प्रेज/80—इस सचिवालय की अधिसूचना सं० 35-प्रेज/75 दिनांक 8 मई, 1975 में प्रकाशित "सामान्य सेवा मैडल 1965" के अध्यादेश के खण्ड पंचम के अनुसरण में राष्ट्रपति सहर्ष "मिजोरम" क्लास्प प्रतिष्ठापित करते हैं जो "सामान्य सेवा मैडल 1965" के साथ 8 मई, 1975 से पहना जाएगा। यह क्लास्प निम्नलिखित पैरा ग्राफ में उल्लिखित क्षेत्रों में सैनिकों द्वारा की गई सेवाओं के अभिज्ञानार्थ होगा।

2. उक्त क्लास्प पुरस्कार की पात्रता के लिए अर्हक क्षेत्र और शर्तें निम्नलिखित हैं :—

(क) अर्हक क्षेत्र

(i) मिजो जिले में स्थित सभी सैनिक, जिसमें जी० ओ० सी० 8 माउण्टेन डिवीजन के संक्रियात्मक नियंत्रण के अधीन ओ० पी० ओ० आर० सी० एच० आई० डी०, के लिए नियुक्त सैनिक और जी० ओ० सी०-101 कम्यूनिकेशन जोन एरिया के संक्रियात्मक नियंत्रण के अधीन ओ० पी० बैटल एक्स के लिए नियुक्त सैनिक भी शामिल हैं।

(ii) कछार और त्रिपुरा में कटखल आर० एफ० में विरांगटे (आर० जे०-0625) जी० आर० (आर० एच०-9722) से खींची गई रेखा के पूर्व में—भगहानपुर (आर० एच०-8011) जी० आर० (आर० एच०-7710) से दक्षिण पश्चिम की ओर चटचारा तालांग से चटचारा (आर० एन०-6992) के साथ साथ मिजो कछार सीमा के साथ-साथ के इलाके से जी० आर० (आर० एन०-5591) और कछार त्रिपुरा सीमा के साथ-साथ के इलाके से बांगसूल (आर० एन० 4691) करबा रीपारा (आर० एन०-4571)—नकरेह पारा (आर० एन०-3459)—बिन्दु 1639 (आर० एन० 4228) जो जी० ओ० सी० 101 कम्यूनिकेशन जोन एरिया के संक्रियात्मक नियंत्रण में हैं।

(ख) पात्रता :—

(i) वे कार्मिक जिन्होंने ऊपर पैरा 2(क) में उल्लिखित क्षेत्रों में स्थित या कार्यरत डिटेचमेंट/यूनिट/फारमेशन की सक्रिय-सेवा में 8 मई 1975 से या इसके बाद में अकेले या संयुक्त रूप से कुल मिलाकर 180 दिन की सेवा की हो। इसमें वे कार्मिक शामिल नहीं होंगे जिन्हें किसी विशेष गतिविधि के लिए अस्थाई रूप से नियुक्त किया गया है। इस मामले में न्यूनतम अर्हक सेवा 90 दिन है।

(ii) ऐसे कम्बैट कार्मिक जैसे कोर परिवहन संगठन, एयर एयर फील्ड सप्लाई संगठन, एयर डिसपैच यूनिटों और एयर आब्जर्वेशन पोस्ट यूनिटों के ऐसे कार्मिक जिन्होंने अर्हक क्षेत्रों में 8 मई, 1975 को या उसके बाद से कम से कम [illegible] प्रतिशत समय तैनात रहे हों या 90 दिन की अवधि पूरी की हो।

(iii) उन क्षेत्रों में तैनात ऐसे कार्मिक जिन्हें क्षेत्रों के लिए पुरस्कार [illegible] के लिए विचार किया गया हो लेकिन वे सेवा के दौरान [illegible] से सेवा करते समय मृत्यु हो गई हो या घायल हुए हों अथवा अक्षमता हुए हों, भले ही ऊपर उप-पैरा (i) और (ii) में उल्लिखित अर्हक सेवा अवधि कुछ भी रही हो।

(iv) इन क्षेत्रों में सेवा के दौरान पकड़े जाने के कारण विद्रोहियों के पास बन्दी रहने की अवधि क्लास्प के लिए अर्हक अवधि मानी जायेगी जो ऊपर उप-पैरा (i) और (ii) में उल्लिखित है।

(v) थलसेना, वायुसेना और नौसेना संगठन में नियुक्त नौसेना कार्मिक जो अर्हक क्षेत्रों में जिस सेवा के साथ कार्यरत हैं उस सेवा के लिए लागू पात्रता की शर्तों के अनुसार यह पुरस्कार पाने के हकदार होंगे। इसके लिए अर्हक समय वही होगा जो ऊपर उप पैरा (i) और (ii) में दिया गया है।

(vi) पैरा 2(क) में उल्लिखित क्षेत्रों में ओ० पी० ओ० आर० सी० एच० आई० डी० में जो कार्मिक 8 मई, 1975 से सेवा में हैं उनके द्वारा की गई सेवा सामान्य सेवा मैडल, 1965 के नागालैण्ड क्लास्प की पात्रता के लिए अर्हक सेवा नहीं गिनी जाएगी। पैरा 2(क) में

उल्लिखित मिजोरम क्षेत्र में की गई सेवा, 8 मई, 1975 से सैन्य सेवा मैडल के बंगाल-असम क्लास्प की पात्रता के लिए नहीं गिनी जाएगी। लेकिन अगर बंगाल-असम क्लास्प और उप पैरा 2(क) में उल्लिखित क्षेत्रों में मिजोरम क्लास्प के लिए आवश्यक कुल सेवा अवधि कम पड़ती हो और अगर उस कार्मिक की अविछिन्न सेवा हो तो उसे 8 मई, 1975 के बाद की गई सेवा को गिनने की अनुमति दी जाए ताकि सैन्य सेवा मैडल के क्लास्प बंगाल-असम के लिए अपेक्षित कुल दिनों की कमी पूरी हो सके।

सं० 45-प्रेज/80—इस सचिवालय की अधिसूचना सं० 35-प्रेज/75 दिनांक 8 मई, 1975 में प्रकाशित "सामान्य सेवा मैडल 1965" के अध्यादेश के खण्ड पंचम के अनुसरण में राष्ट्रपति सहर्ष "नागालैंड" क्लास्प प्रतिष्ठापित करते हैं जो "सामान्य सेवा मैडल 1965" के साथ 8 मई, 1975 से पहना जाएगा। यह क्लास्प नागालैंड में कार्यरत कार्मिकों की सेवा के अभिज्ञानार्थ होगा।

2. पुरस्कार की पात्रता की शर्तें निम्न होंगी :—

(क) वह व्यक्ति जिसने जी० ओ० सी० असम/23 इंफैंट्री डिवीजन/ओ० पी० ओ० आर० सी० एच० आई० डी०/जी० ओ० सी० नागालैंड/8 माउंटेन डिवीजन/जी० ओ० सी० 101 कम्यूनिकेशन जोन एरिया के अन्तर्गत या वहां स्थित किसी डिटेचमैंट/यूनिट/फारमेशन की सक्रिय सेवा में अकेले या संयुक्त रूप से कुल मिला कर 180 दिन की सेवा की हो।

(ख) वह व्यक्ति जिसने 8 मई 1975 से या उसके बाद में नागालैंड में कार्य कर रही किसी डिटेचमेंट, यूनिट या फारमेशन की सक्रिय सेवा में अस्थायी ड्यूटी पर कुल मिलाकर 90 दिन की सेवा की हो।

(ग) एयर डिस्पैच यूनिटों के सामान गिराने वाले कर्मीदल (इजेक्शन क्रयूज) और सेना वायु परिवहन संगठन, रियर एयर फील्ड सप्लाई संगठन, एयर डिस्पैच यूनिटों और एयर आब्जरवेशन पोस्ट यूनिटों की सक्रिय सेवा में लगे कार्मिक जिन्होंने जी० ओ० सी० असम/23 इंफैंट्री डिवीजन/ओ० पी० ओ० आर० सी० एच० आई० डी०/जी० ओ० सी० नागालैंड / 8 माउंटेन डिवीजन/जी० ओ० सी० 101 कम्यूनिकेशन जोन एरिया के कार्यक्षेत्र में 8 मई 1975 से या उसके बाद से संक्रियात्मक क्षेत्र में कम से कम 5 संक्रियात्मक उड़ाने भरी हैं या संक्रियात्मक उड़ानों में 20 घंटे की उड़ान की है।

(घ) वह व्यक्ति जिसकी उन कमानों की सेवा के कारण, सेवा में रहते हुए मृत्यु हो गई हो अथवा घायल होने या अशक्त होने पर जिसे वहां से हटाया गया हो भले ही वहां उसकी सेवा की अवधि या की गई उड़ानों की संख्या अथवा क्रियात्मक संक्रियात्मक उड़ानों के घंटे कुछ भी रहे हों।

(ङ) वह व्यक्ति जिसे उन कमानों की सेवा के लिए सम्मानित किया गया हो या जिसका विशेष नामोल्लेख किया गया हो, भले ही वहां उसकी सेवा की अवधि या की गई उड़ानों की संख्या अथवा संक्रियात्मक उड़ानों के घंटे कुछ भी रहे हों।

(च) उन कमानों में सेवा के दौरान पकड़े जाने के कारण विद्रोहियों के पास बंदी रहने की अवधि इस मैडल अथवा क्लास्प के लिए अर्हक अवधि मानी जाएगी।

3. क्लास्प दिये जाने के लिए पात्र कार्मिकों के वर्गों का विवरण राष्ट्रपति सचिवालय की 8 मई, 1975 की अधिसूचना संख्या 35-प्रेज/75 के सप्तम खण्ड में दिया गया है।

सु० नीलकण्ठन, राष्ट्रपति के उप सचिव

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

कम्पनी कार्य विभाग

(कम्पनी विधि बोर्ड)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 26 जून 1980

आदेश

सं० 27(26)80-सी० एल०-2—कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उप-धारा (1) के खंड (2) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा कम्पनी कार्य विभाग के संयुक्त निदेशक श्री कुमारजीब मित्रा को कथित धारा 209-क के उद्देश्य के लिए प्राधिकृत करती है।

2 केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा, श्री कुमारजीब मित्रा के पक्ष में, उप-निदेशक, निरीक्षण, कलकत्ता के रूप में दिनांक 6 नवम्बर, 1974 के आदेश सं० 7(10)74-सी० एल०-2 के अनुसार पहले के प्रेषित प्राधिकरण को निरस्त करती है।

सु० बलरामन, उप सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

नई दिल्ली-1, दिनांक 13 जून 1980

स० 1/4/80-सी०टी०ई०—दिनांक 10 अगस्त, 1979 की अधिसूचना (विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग) को अधिक्रमण करते हुए, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि संस्था पंजीकरण अधिनियम (1860 का 21) के कार्यों के लिए (वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्) की सोसायटी का पुनर्गठन तत्काल से दो वर्ष की अवधि के लिये भारत सरकार द्वारा किया गया है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :—

1	प्रधान मंत्री	अध्यक्ष
2	प्रोफेसर सय्यिद नूरूल हसन	उपाध्यक्ष
3	श्री वसन्त साठे, सूचना तथा प्रसारण मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली ।	सदस्य
4	श्री एन० डी० तिवारी, योजना मंत्री और, उपाध्यक्ष, योजना आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य
5	डा० चरणजीत चानना, राज्य मंत्री, उद्योग, भारत सरकार, नई दिल्ली ।	सदस्य
6	प्रोफेसर सतीश चन्द्र, अध्यक्ष, विश्व विद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली ।	सदस्य
7	डा० सी० एम० झा, शिक्षा परामर्शदाता (तकनीकी) शिक्षा मंत्रालय, शास्त्री भवन, भारत सरकार, नई दिल्ली ।	सदस्य

8 डा० ओ० पी० गौतम, सदस्य
महानिदेशक,
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्,
कृषि भवन,
नई दिल्ली ।

9 डा० वी० रामालिंगस्वामी, सदस्य
महानिदेशक,
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद्,
नई दिल्ली ।

10 डा० अबद अहमद, सदस्य
प्रोफेसर,
दिल्ली स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एण्ड डायरेक्टर,
दक्षिण दिल्ली विश्वविद्यालय परिषद्,
नई दिल्ली ।

11 श्री के० सी० खन्ना, सदस्य
अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक,
कुद्रेमुख आयरन ओर,
25, महात्मा गांधी मार्ग,
बंगलौर-1

12 श्री जे० आर० डी० टाटा, सदस्य
अध्यक्ष,
टाटा इंडस्ट्रीज लि०,
बॉम्बे हाउस,
होमी मोदी स्ट्रीट,
फोर्ट, बम्बई-400023

13 डा० राजा रमन्ना, सदस्य
सचिव,
रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग,
रक्षा मंत्रालय,
साउथ ब्लाक,
नई दिल्ली ।

14 डा० आर० एन० डोगरा, सदस्य
कोठी नं० 4,
सैक्टर 5,
चण्डीगढ़ ।

15 डा० यश पाल, सदस्य
निदेशक,
भारतीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र,
अहमदाबाद ।

16 डा० सी० एन० आर० राव, सदस्य
मॉलिड स्टेट एण्ड स्ट्रक्चरल कैमिस्ट्री यूनिट,
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस,
बंगलौर-560012 ।

17 डा० गुरबख्श सिंह, सदस्य
कुलपति,
दिल्ली विश्वविद्यालय,
दिल्ली ।

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के नियमों और विनियमों के नियम 3(iii) के अनुसार सी० एस० आई० आर० (वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्) की शासी सभा के निम्नलिखित सदस्य शासी सभा की सदस्यता अवधि तक के लिए सोसायटी (वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्) के सदस्य रहेंगे :—

1 महानिदेशक,
वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्,
रफी मार्ग,
नई दिल्ली-1 (अध्यक्ष, शासी सभा)

2 वित्त मंत्रालय,
भारत सरकार का प्रतिनिधि (श्री जी० रामचन्द्रन, वित्त सचिव)

3 डा० एस० वरदराजन,
चेयरमैन, प्रबन्ध, निदेशक,
भारतीय पैट्रोकैमिकल कारपोरेशन, लि०,
बड़ौदा ।

4 डा० बी० रामचन्द्र राव,
उपाध्यक्ष,
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,
नई दिल्ली ।

5 प्रोफेसर ए० के० शर्मा,
कलकत्ता विश्वविद्यालय,
35, बाली गंज, सरकुलर रोड,
कलकत्ता-19 ।

6 निम्नलिखित समन्वय परिषदों के अध्यक्ष :—

(क) (रसायन विज्ञान) (30-9-80 तक)
डा० एच० बी० के० उडूपा,
निदेशक,
केन्द्रीय विद्युत रसायन अनुसंधान संस्थान,
कराइकुडी-6

(ख) (भौतिक और भूविज्ञान) (12-5-82 तक)
डा० एस० जैड कासिम,
निदेशक, राष्ट्रीय समुद्र-विज्ञान संस्थान,
गोआ ।

(ग) (इंजीनियरी विज्ञान) (31-7-80 तक)
श्री के० डी० शर्मा,
निदेशक,
केन्द्रीय कांच और सिरैमिक अनुसंधान संस्थान,
कलकत्ता ।
प्रोफेसर वी० ए० अल्टेकर (1-8-80 से)
निदेशक,
राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला,
जमशेदपुर ।

(घ) (जैव विज्ञान) (17-1-81 तक)
डा० नित्या नन्द,
निदेशक,
केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान,
लखनऊ ।

म० गो० कु० मेनन, सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि तथा सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 17 जून, 1980

संकल्प

सं० 11-3/80-एल० डी०-I—भारत सरकार ने दिल्ली दुग्ध योजना के लिए एक परामर्शदात्री समिति को गठित करने का निर्णय लिया है जो सरकार को समाव्यत: योजना की नीति और विशेषकर निम्नलिखित के विषय में परामर्श देगी :

(1) दूध की अधिप्राप्ति से सम्बन्धित मामले।

(2) दूध के परिसंस्करण तथा दुग्ध पदार्थों (यदि कोई हो) से सम्बन्धित मामले ।

(3) वितरण तथा विपणन संबंधी मामले, और

(4) जन साधारण की शिकायतों या प्रतिक्रियाओं व सुझावों से संबंधित मामले ।

परामर्शदात्री समिति का गठन निम्न प्रकार होगा :—

अध्यक्ष :

1. कृषि मंत्री

उपाध्यक्ष :

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री

सदस्य :

(1) }
(2) } दिल्ली का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्य ।
तथा }
(3) }

(4) सचिव, कृषि तथा सहकारिता विभाग।

(5) अतिरिक्त सचिव (एल० डी० एफ०), कृषि तथा सहकारिता विभाग ।

(6) अध्यक्ष, प्रबन्ध समिति, दिल्ली दुग्ध योजना।

(7) विकास आयुक्त दिल्ली प्रशासन ।

(8) उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण ।

(9) महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवायें ।

(10) वित्तीय सलाहकार, कृषि तथा सहकारिता विभाग

(11) संयुक्त सचिव, डेयरी विकास, कृषि मंत्रालय, कृषि तथा सहकारिता विभाग ।

(12) महा प्रबन्धक, दिल्ली दुग्ध योजना—सदस्य सचिव ।

परामर्शदात्री समिति की आवश्यकतानुसार बैठकें होंगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति सचिवालय, योजना आयोग, भारत के महा नियन्त्रक तथा लेखा परीक्षक महालेखाकार केन्द्रीय राजस्व, निदेशक (वाणिज्यिक लेखा परीक्षक), विकास आयुक्त दिल्ली प्रशासन, महा निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, अध्यक्ष प्रबन्ध समिति, दिल्ली दुग्ध योजना तथा उपाध्यक्ष दिल्ली विकास प्राधिकरण को प्रेषित की जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्व साधारण की सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एन० राजगोपाल, संयुक्त सचिव

सिंचाई मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक जून 1980

संकल्प

स० बा० नि०-15(1)/80—तट कटाव बोर्ड के पुनर्गठन के संबंध में सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के संकल्प स० एफ० सी० 15(3)/71/105 दिनांक 4-6-1971 के पैरा-2 में निम्नलिखित को क्र० सं० 7 के बाद बोर्ड के सदस्य के रूप में शामिल कर लिया जाए —

8 अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियन्त्रण आयोग, पटना । सदस्य

पैरा-2 में वर्तमान क्र० सं० 8 को बदल कर क्र० सं० 9 कर दिया जाए।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति संबद्ध राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, राष्ट्रपति के निजी सचिव तथा सैनिक सचिव, प्रधान मंत्री कार्यालय, भारत के नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक, योजना आयोग और नौवहन तथा परिवहन, रक्षा, शिक्षा, वित्त (व्यय विभाग) गृह, रेल, निर्माण और आवास मंत्रालयों को सूचनार्थ भेज दी जाए ।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए और सबद्ध राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाए कि वे इसे आम सूचना के लिए राज्यों के राज पत्रों में प्रकाशित कर दें ।

इन्द्र प्रकाश कपिला, संयुक्त सचिव

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 जून 1980

स० क्यू०-16011(1)/80 डब्ल्यू०ई०—केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के नियमों और विनियमों के नियम 8 के अनुसरण में भारत सरकार एतद् द्वारा श्री आर० के० राय चौधरी, अवर सचिव, श्रम मंत्रालय को अधिसूचना जारी होने की तारीख से श्री दलजीत सिंह, उप सचिव, श्रम मंत्रालय के स्थान पर केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के बोर्ड आफ गवर्नर्स के सदस्य के रूप में नामित करती है ।

स० क्यू०-16011(4)/80-डब्ल्यू०ई० —केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के नियमों और विनियमों के नियम 4(III) और (VI) के साथ पढ़े गये नियम 3(ख) के अनुसरण में भारत सरकार एतद् द्वारा श्री आर० के० राय चौधरी अवर सचिव, श्रम मंत्रालय को अधिसूचना के जारी होने की तारीख से श्री दलजीत सिंह, भूतपूर्व उप सचिव, श्रम मंत्रालय के स्थान पर केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड में सदस्य के रूप में नियुक्त करती है ।

2. तदनुसार, 20 दिसम्बर, 1958/29 अग्रहायण, 1880 के भारत के राजपत्र के भाग 1, खण्ड 1 में प्रकाशित श्रम और रोजगार मंत्रालय की, समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं० ई० एस० पी०-4(24)/58, दिनांक 12 दिसम्बर, 1958 में निम्नलिखित परिवर्तन किये जायेंगे :—

वर्तमान प्रविष्टि, अर्थात्

1. श्री दलजीत सिंह,
उप-सचिव,
श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली ।

के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् —

1. श्री आर० के० राय चौधरी,
अवर सचिव, श्रम मंत्रालय,
नई दिल्ली -1 ।

पी० आर० रामाकृष्णन,
अवर सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 7th July 1980

No. 41-Pres./80.—The President is pleased to direct that Clasp "Naga Hills" worn with the General Service Medal 1947 instituted and published in Part I, Section 1 of the Gazette of India *vide* President's Secretariat Notification No. 13-Pres./60, dated 26th January, 1960 be discontinued with effect from 8th May, 1975.

No. 42-Pres./80.—The President is pleased to direct that Clasp "Mizo Hills" worn with the General Service Medal, 1947 instituted and published in Part I, Section 1 of the Gazette of India *vide* President's Secretariat Notification No. 36-Pres./70 dated 16th July, 1970 be discontinued with effect from 8th May, 1975.

No. 43-Pres./80.—The President is pleased to direct that the General Service Medal, 1947, instituted *vide* President's Secretariat Notification No. 3-Pres./50 dated 5th June, 1950 with clasps "Naga Hills" and "Mizo Hills" will be issued to the recipients between 1st January, 1968 to 8th May, 1975 with the ribbon of Samanya Seva Medal, 1965, instituted *vide* President's Secretariat Notification No. 35-Pres./75 dated 8th May, 1975.

No. 44-Pres./80.—In pursuance of Clause fifthly of the ordinances instituting "सामान्य सेवा मैडल, 1965 "SAMANYA SEVA MEDAL, 1965" published in Notification No. 35-Pres./75, dated the 8th May, 1975, the President is pleased to institute a Clasp "MIZORAM" to be worn with "सामान्य सेवा मैडल 1965 "SAMANYA SEVA MEDAL, 1965" with effect from the 8th May, 1975 for recognition of service rendered by troops in the areas mentioned in paragraph 2 below.

2. The following are the qualifying areas and conditions of eligibility for the award of the clasp :

(a) *Qualifying areas*

(i) All troops located in MIZO District which includes troops deployed for 'OP ORCHID' under the operational control of GOC 8 Mountain Division and those for 'OP BATTLE AXE' under the operational control of GOC 101 Communication Zone Area.

(ii) Troops deployed in CACHAR and TRIPURA, east of a line drawn from VIRANGTE (RT 0625) GR (RH 9722) in KATAKHAL RF—BHAGAHANPUR (RH 8011)—GR (RH 7710) SOUTH WEST Along CHATACHARA TALANG to CHATACHARA (RN 6992) along MIZO—CACHAR border to GR (RN 5591) and along border CACHAR TRIPURA to BONGSUI (RN 4691) KARBARIPARA (RN 4571)—NAKRAIHAPARA (RN 3459)—Point 1639 (RN 4228) under operational control of GOC 101 Communication Zone Area.

(b) *Eligibility*

(i) Personnel who have put in an aggregate of 180 days of service on the active strength of a detachment/unit/formation located or operated in qualifying areas mentioned in paragraph 2(a) above singly or jointly from the 8th May, 1975 or thereafter except those who have been temporarily inducted for specific operation. The latter case the minimum qualifying service is 90 days.

(ii) Air crew personnel and personnel of Army Air Transport Organisation, Rear Air Field Supply Organisation, Air Despatch Units and Air Observation Posts units, who carried out a minimum of five operational sorties of 20 hours of flying over the qualifying area from the 8th May, 1975 or thereafter.

(iii) Personnel who win a gallantry award of a Mention-in-Despatches or die or sustain wounds or other disability while on service in the area irrespective of time-limit during the qualifying period, mentioned in sub-paras (i) and (ii) above.

(iv) The time spent in hostile captivity in consequence of capture during service in the area will count towards the qualifying period for the award of the clasp mentioned in sub-paras (i) and (ii) above.

(v) Naval personnel attached to the Army or the Air Force including those serving with Border Road Organisation in the qualifying area, shall be eligible for the award according to the conditions of eligibility applicable to the service to which they are attached. Qualifying period will be the same as given in sub-paras (i) and (ii) above.

(vi) Service rendered by personnel with "OP ORCHID" in the qualifying areas mentioned in Para 2 (a) above with effect from the 8th May, 1975 will not count towards qualifying service for the eligibility of clasp "NAGALAND" to the Samanya Seva Medal 1965. Also service in MIZORAM area mentioned in Para 2(a) will not count for the eligibility of Sainya Seva Medal with clasp "BENGAL-ASSAM" with effect from the 8th May, 1975. If, however, an individual falls short of the aggregate number of days required to qualify for "BENGAL-ASSAM" clasp and also for "MIZORAM" Clasp in the area mentioned in Para 2(a) above and if his service is continuous then he may be permitted to count the period beyond the 8th May, 1975 to make up an aggregate number of days required for "BENGAL-ASSAM" clasp to the Sainya Seva Medal.

No. 45-Pres./80.—In pursuance of Caluse fifthly of the ordinances instituting "सामान्य सेवा मैडल, 1965" "SAMANYA SEVA MEDAL, 1965" published in Notification No. 35-Pres/75, dated the 8th May, 1975, the President is pleased to institute a Clasp "NAGALAND" to be worn with "सामान्य सेवा मैडल, 1965" "SAMANYA SEVA MEDAL, 1965" for recognition of service of personnel in Nagaland with effect from 8th May, 1975.

2. The conditions of eligibility for the award shall be as follows :—

(a) A person who has put in an aggregate of 180 days of service on the active strength of a detachment/unit/formation operation or located under operational command of GOC ASSAM/23 Infantry Division/OP ORCHID/GOC NAGALAND/8 MOUNTAIN DIVISION/GOC 101 Communication Zone area singly or jointly.

(b) A person who has put in an aggregate of 90 days of service on the active strength of a detachment, unit or formation operating in NAGALAND on temporary duty with effect from the 8th May, 1975 or thereafter.

(c) The ejection crews of Air Despatch units and personnel borne on the effective strength of Army Air Transport Organisation, Rear Air Field Supply Organisation, Air Despatch Units and Air Observation Posts Units who carried out a minimum of five operational sorties or 20 hours of flying/on operational sorties in the operational area of GOC ASSAM/23 Infantry Division/OP ORCHID/GOC NAGALAND/8 Mountain Division/GOC 101 Communication Zone Area from the 8th May, 1975 or thereafter.

(d) A person who died on service or was evacuated as a result of wounds or other disabilities attributable to service in those commands irrespective of time limit or number of sorties or number of operational flying hours.

(e) A person who won a decoration or mention-in-despatches for service in those commands irrespective of time limit or number of sorties or number of operational flying hours.

(f) Time spent in hostile captivity in consequence of capture during service in those commands will count towards the qualifying period for the Medal and Clasp.

3. The categories of personnel eligible for the award of the clasp are specified in caluse Seventhly of the President's Secretariat Notification No. 35-Pres./75 dated 8th May, 1975.

S. NILAKANTAN, Dy. Secy.

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS

(COMPANY LAW BOARD)

New Delhi, the 26th June 1980

ORDER

No. 27(26)80-CL-II.—In pursuance of clause (ii) of sub-section (I) of Section 209A of the Companies Act, 1956 (I of 1956), the Central Government hereby authorises Shri Kumarjib Mitra, Joint Director, Inspection, in the Department of Company Affairs for the purposes of the said Section 209A.

2. The Central Government hereby revokes the earlier authorisation issued in favour of Shri Kumarjib Mitra as Deputy Director, Inspection, Calcutta vide Order No. 7(10)74-CL-II dated the 6th November, 1974.

S. BALARAMAN, Dy. Secy.

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

New Delhi, the 13th June 1980

No. 1/4/80-CTE.—In supersession of the Department of Science and Technology Notification dated 10th August, 1979, it is notified for general information that for the purposes of the Societies Registration Act (XXI of 1860), the Society (Council of Scientific and Industrial Research) has been reconstituted with effect from 6-6-1980, for a period of two years by the Govt. of India and shall consist of the following :—

President

1. Prime Minister

Vice-President

2. Professor S. Nutul Hasan

Members

3. Shri Vasant Sathe,
Minister of Information and Broadcasting,
Govt. of India,
New Delhi.

4. Shri N. D. Tiwari,
Minister of Planning and
Deputy Chairman,
Planning Commission,
Govt. of India,
New Delhi.

5. Dr. Charanjit Chanana,
Minister of State for
Industry,
Govt. of India,
New Delhi.

6. Prof. Satish Chandra,
Chairman,
University Grants Commission,
Bahadur Shah Zafar Marg,
New Delhi.

7. Dr. C. S. Jha,
Educational Adviser (Technical),
Ministry of Education,
Shastri Bhawan,
Govt. of India,
New Delhi.

8. Dr. O. P. Gautam,
Director-General,
Indian Council of Agricultural
Research,
Krishi Bhawan,
New Delhi.

9. Dr. V. Ramalingaswamy,
Director-General,
Indian Council of Medical Research,
New Delhi.

10. Dr. Abad Ahmed,
Professor,
Delhi School of Management and
Director,
South Delhi University Campus,
New Delhi.

11. Shri K. C. Khanna,
Chairman-cum-Managing Director,
Kudremukh Iron Ltd.,
25, Mahatma Gandhi Road,
Bangalore-1.

12. Shri J. R. D. Tata,
Chairman,
Tata Industries Limited.
Bombay House.
Homi Mody Street,
Fort, Bombay-400023.

13. Dr. Raja Ramanna,
Secretary,
Deptt. of Defence Research & Development,
Ministry of Defence,
South Block,
New Delhi.

14. Dr. R. N. Dogra,
Kothi No. 4,
Sector 5,
Chandigarh.

15. Dr. Yash Pal,
Director,
Indian Space Application Centre,
Ahmedabad.

16. Dr. C. N. R. Rao,
Solid State & Structural Chemistry Unit,
Indian Institute of Science,
Bangalore-560012.

17. Dr. Gurbaksh Singh,
Vice-Chancellor,
Delhi University,
Delhi.

The following memebrs of the Governing Body of the CSIR shall be members of the Society (Council of Scientific & Industrial Research) for the period they are members of the Governing Body, in accordance with Rule 3(iii) of the Rules and Regulations of the Council of Scientific and Industrial Research :—

1. Director-General,
Scientific & Industrial Research,
Rafi Marg,
New Delhi-1 (*Chairman, Governing Body*)

2. Nominee of the Ministry of Finance,
Govt. of India,
(Shri G. Ramachandran, Finance Secretary).

Members

3. Dr. S. Varadarajan,
Chairman-cum-Managing Director,
Indian Petro-Chemicals Corporation Limited,
Jawaharnagar,
Baroda.

4. Dr. B. Ramachandra Rao,
Vice-Chairman,
University Grants Commission,
Bahadur Shah Zafar Marg,
New Delhi.

5. Prof. A. K. Sharma,
Calcutta University,
35, Ballygunje Circular Road,
Calcutta-19.

6. Chairmen of the following Co-ordination Councils :
(a) (Chemical Sciences)
Dr. H. V. K. Udupa, (Upto 30-9-80)
Director,
Central Electro-Chemical Research Institute,
Karaikudi.

(b) (Physical and Earth Sciences)
Dr. S. Z. Qasim,
Director,
(Upto 12-5-82)
National Institute of Oceanography,
Goa.

(c) (Engineering Sciences)
Shri K. D. Sharma,
Director,
(Upto 31-7-80)
Central Glass & Ceramic Research Institute,
Calcutta.
prof. V. A. Altekar,
Director,
(From 1-8-80)
National Metallurgical Laboratory,
Jamshedpur.

(d) (Biological Sciences)
Dr. Nitya Nand,
Director,
(Upto 17-1 81)
Central Drug Research Institute,
Lucknow.

M. G. K. MENON, Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi-1, the 18th June 1980

RESOLUTION

No. 11-3/80-LD-I.—The Government of India have decided to constitute with immediate effect an Advisory Council for the Delhi Milk Scheme in order to advise Government generally on matters of policy relating to the scheme and, in particular, tender advice on the following :—

(1) Matters relating to procurement of milk.

(2) Matters relating to processing of milk and milk products, if any.

(3) Matters relating to distribution and marketing, and

(4) Other matters arising from public complaints or re-actions and suggestions

The Advisory Council shall be constituted as under :—

Chairman :

1. Minister of Agriculture.

Vice Chairman

Minister of State in the Ministry of Agriculture.

Members

(1)
(2) Members of Parliament representing Delhi.
(3) &
(4) Secretary, Department of Agriculture & Cooperation.

(5) Additional Secretary (ADF), Department of Agriculture & Cooperation.

(6) Chairman, Management Committee, Delhi Milk Scheme.

(7) Development Commissioner, Delhi Administration.

(8) Vice-Chairman, Delhi Development Authority.

(9) Director General of Health Services.

(10) Financial Adviser,
Department of Agriculture & Cooperation.

(11) Joint Secretary, Dairy Development, Ministry of Agriculture, Deptt. of Agriculture & Cooperation.

(12) General Manager, Delhi Milk Scheme—Member/Secretary.

The Advisory Council shall meet as often as necessary.

RESOLUTION

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to the all Ministries/Departments of the Govt. of India; Cabinet Sectt; Prime Minister's Sectt.; the President's Sectt.; the Planning Commission; the Comptroller and Auditor General of India, the Accountant General, Central Revenue; the Director of Commercial Audit; Development Commissioner, Delhi Administration; the Director General of Health Services, the Chairman, Management Committee, Delhi Milk Scheme; the General Manager, Delhi Milk Scheme and Vice-Chairman, Delhi Development Authority.

ORDERED also that this Resolution be published in the Gazette of India for general information.

N. RAJAGOPAL, Jt. Secy.

MINISTRY OF IRRIGATION

New Delhi, the 12th June 1980

RESOLUTION

No. FC-15(1)/80.—In para 2 of Ministry of Irrigation and Power Resolution No. FC-15(3)/71, dated 4-6-1971, reconstituting the Beach Erosion Board, the following may be included as Member of the Board after S.No. 7 :

8. Chairman, Ganga Flood Control Commission *Patna*	Member

The existing S.No. 8, in para 2, may be re-numbered as S.No.9.

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to the concerned States/U.T.s, the Private Secretary and Military Secretary to the President, Prime Minister Office, Comptroller and Auditor General of India, Planning Commission and the Ministries of Shipping and Transport, Defence, Education, Finance (Department of Expenditure), Home Affairs, Railways, Works and Housing for information.

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India and the State Governments concerned may be requested to publish it in the State Gazette for general information.

I. P. KAPILA, Jt. Secy.

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 28th June 1980

No. Q-16011/4/80 WE(II).—In pursuance of Rule 8 of the Rules and Regulations of the Central Board for Workers' Education, the Government of India hereby nominate Shri R. K. Roy Chowdhry, Under Secretary, Ministry of Labour, as a member of the Board of Governors of the Central Board for Workers' Education vice Shri Daljit Singh, Deputy Secretary, Ministry of Labour, with effect from the date of issue of this Notification.

No Q-16011/4/80-WE(I) —In pursuance of rule 3(b) read with rule 4(iii) and (vi) of the Rules and Regulations of the Central Board for Workers' Education, the Government of India hereby appoints Shri R. K. Roy Chowdhry, Under Secretary, Ministry of Labour, as a member on the Central Board for Workers' Education, in place of Shri Daljit Singh, formerly Deputy Secretary in the Ministry of Labour, with effect from the date of issue of this Notification.

2. The following changes shall be made accordingly in the Ministry of Labour and Employment Notification No. E&P. 4(24)/58, dated the 12th December, 1958, published in the Gazette of India Part-I Section-I, dated December 20, 1958/Agrahayana 29, 1880, as amended from time to time.

For the existing entry viz :

"1. Shri Daljit Singh,
Deputy Secretary,
Ministry of Labour.
New Delhi."

The following entry shall be substituted viz :—

"1. Shri R. K. Roy Chowdhry,
Under Secretary,
Ministry of Labour,
New Delhi."

P. R. RAMAKRISHNAN, Under Secy

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1980